राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

डीजी परिपत्र सं0-33/2025
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक : अगस्त23,2025

विषय- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 176(3) के क्रियान्वयन हेतु SOP के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया तीन नवीन अधिनियमों के सफल क्रियान्वयन के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 176 (3) में निहित प्राविधान के क्रियान्वयन हेतु SOP तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय के निर्देशन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार की गई है ,जो निम्नवत है-

क्राइमसीन मैनेजमेंट- मानक कार्यविधि

(Crime Scene Management- Standard Operating Procedure)

मानक कार्यविधि (Standard Operating Procedure–SOP), जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 176(3) के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई है। यह SOP गंभीर अपराधों में घटनास्थल की शुद्धता और प्रमाणिकता बनाये रखते हुए घटनास्थल का फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन कर किये जाने एवं न्याय प्रक्रिया को तकनीकी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने से संबंधित है।

कानूनी प्रावधान (Legal Provision)

BNSS 2023 की धारा 176(3):

"ऐसे सभी अपराधों में, जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थल का निरीक्षण करें एवं साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी की जाये। यह कार्य अधिसूचित तिथि से पाँच वर्षों के भीतर राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा।"

जहां फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य राज्य की सुविधा का उपयोग अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकेगा।

(1). उद्देश्य (Objective)

- घटनास्थल को सुरक्षित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
- फॉरेंसिक टीम द्वारा अपराध स्थल की अखंडता बनाए रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साक्ष्य संकलन कर माननीय न्यायालय में तकनीकी रूप से सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करना।
- घटनास्थल पर उपस्थित समस्त साक्ष्यों (यथा-ब्लड पैटर्न, अस्त्र-शस्त्र, फिंगर प्रिंट्स आदि) की अनिवार्य रूप से फोटोग्राफ़ी/वीडियोग्राफी कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन सुनिश्चित करना।
- न्याय प्रक्रिया को तकनीकी, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना।

(2). दायरा एवं उपयोगिता (Scope & Applicability)

यह SOP निम्नलिखित पर लागू होगी:

- वे सभी मामले, जिनमें **7 वर्ष या अधिक की सजा** निर्धारित है।
- विशेषतः **गंभीर अपराध, यौन अपराध, आतंकवाद, NDPS, हत्या, POCSO** आदि से सम्बन्धित प्रकरणों पर।
- सभी पुलिस स्टेशन, विवेचक, फील्ड यूनिट एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों पर।

(3). मामलों का वर्गीकरण (Case Categories)

अत्यंत गंभीर अपराध जैसे- हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, POCSO आदि।

सामान्य अपराध, जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा है।

C. ऐसे अन्य मामले, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

(4). चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

(i): प्राथमिकी दर्ज होने पर

- किसी गंभीर अपराध में FIR दर्ज होने पर उसे थानाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा **फॉरेंसिक टीम के निरीक्षण के लिए चिन्हित** करना।

(ii): फॉरेंसिक टीम को सूचना देना

- FIR दर्ज होते ही **अविलम्ब** फॉरेंसिक फील्ड यूनिट (FSL FU) को जनपद प्रभारी SSP/DCP/SP अथवा **नोडल पुलिस अधिकारी** के माध्यम से सूचना दें। वे जनपद में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से चयन कर अधिक गम्भीर अथवा महत्वपूर्ण घटना पर फील्ड यूनिट को पहले रवाना करेंगे।
- FIR की डिजिटल प्रति एवं घटनास्थल की जानकारी फील्ड यूनिट को तत्काल उपलब्ध करायें।

(iii): अपराध स्थल का घेराव एवं सुरक्षा

घटनास्थल पर पहुँचने वाले सर्वप्रथम अधिकारी/कर्मी (First Reponder) द्वारा निम्न कार्य करना आवश्यक है-

(a) **घटनास्थल की सुरक्षा:**

- तत्काल स्थल की सीमा रेखित एवं सुरक्षित (Cordoning) करें।
- Inner व Outer perimeter स्थापित करें।
- घटनास्थल से अनावश्यक लोगों को हटाये, अनाधिकृत प्रवेश रोकें।
- प्रवेश-निकास रजिस्टर/log में प्रविष्टि कर हस्ताक्षरित करायें।
- घटनास्थल को प्रभावित किये बिना वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी करें।

(b) **व्यक्तिगत सुरक्षा (PPE Use):**

- दस्ताने, मास्क, कैप, शू कवर का प्रयोग करें।
- क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक साक्ष्य से दूसरे साक्ष्य में या एक जगह से दूसरी जगह पर अनजाने में डीएनए, फिंगरप्रिंट, बाल, फाइबर आदि साक्ष्यों का स्थानांतरण) रोकें।

(iv): फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर आगमन

- फोरेंसिक टीम के पास अनिवार्य रूप से निम्नलिखित उपकरण होने चाहिये-
    - क्राइम सीन फॉरेंसिक किट
    - डीएनए स्वैब, फिंगर प्रिंट/फुट प्रिंट संकलित करने सम्बन्धी उपकरण
    - हाई-डेफिनिशन कैमरा/ स्मार्टफोन
    - टेम्पर-प्रूफ पैकेट
    - फैराडे बैग (डिजिटल साक्ष्यों हेतु)
    - चेन-ऑफ-कस्टडी फॉर्म
    - पोर्टेबल प्रकाश उपकरण
- **टीम द्वारा प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करना**
    - घटनास्थल पर केवल **एक प्रवेश और एक निकास मार्ग** रखें।

- मीडिया, स्थानीय लोग, रिश्तेदारों आदि को घटनास्थल से दूर रखें।

- **पहला निरीक्षण – बिना छुए (Walkthrough)**
  - कोई भी वस्तु छुए बिना अपराध स्थल का निरीक्षण करें।
  - संभावित साक्ष्य, प्रवेश/निकास मार्ग, शरीर की स्थिति, रक्त के धब्बे के पैटर्न इत्यादि को समझें।
- **पर्यावरणीय स्थिति का ध्यान रखना**
  - वर्षा, धूप, मिट्टी या भीड़भाड़- सभी का प्रभाव साक्ष्यों पर पड़ सकता है।
- **समय और प्रकाश स्थिति का रिकॉर्ड रखें**
  - घड़ी, बल्ब, पंखा, खिड़की, पर्दे आदि की स्थिति को फोटोग्राफ और नोट में दर्ज करें।

(v): <u>अपराध स्थल की स्केचिंग और दस्तावेजीकरण</u>

- प्रत्येक साक्ष्य की स्थिति का मौके के अनुसार नक्शा (scene sketch) तैयार करें।
- साक्ष्य एकत्र करने का क्रम, दिशा और दूरी भी दर्ज करें।
- 360° वीडियोग्रांफी और टाइम स्टैम्पेड फोटोग्राफी करें।
- ऑडियो या वॉयस नोट्स में विशेषज्ञ की टिप्पणियां दर्ज करें।

<u>वैज्ञानिक साक्ष्यों का वर्गीकरण एवं हैंडलिंग</u>

<u>(Types of Scientific Evidence & Handling Instructions)</u>

श्रेणी	उदाहरण	हैंडलिंग के निर्देश
1. भौतिक साक्ष्य	हथियार, कपड़े, औज़ार आदि	दस्ताने पहनें, प्लास्टिक/पेपर बैग में सील करें, प्रत्येक पर *Unique Evidence Tag* लगायें।
2. जैविक साक्ष्य	खून, बाल, लार, वीर्य, ऊतक आदि	सूखे स्वैब लें, एयर ड्राई करें, फिर पेपर लिफाफे में सील करें (प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें), *Biohazard* मार्क लगायें।
3. फिंगरप्रिंट	दरवाज़े, बोटल, हथियार आदि	डस्टिंग पाउडर से Lift करके *acetate sheet* में ट्रांसफर करें, प्रूफ बैग में सील करें।
4. फुटवियर/ टायर मार्क	मिट्टी, फर्श, ज़मीन आदि	प्लास्टर कास्टिंग करें, स्केल फोटोग्राफी करें, लेबल के साथ सुरक्षित करें।
5. दस्तावेज़	पत्र, चिट्ठी, रजिस्टर आदि	हाथ से न छूएं, पेपर लिफाफे में रखें, फोटो स्टेट न करें।
6. डिजिटल साक्ष्य	मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क आदि	*स्विच ऑफ* करें, चार्जर डिस्कनेक्ट करें, *Faraday Bag* में डालें।
7. CCTV / DVR	कैमरा, DVR, नेटवर्क रिकॉर्डर आदि	सिस्टम को ऑफ न करें, स्क्रीन की तस्वीर लें, केवल प्रशिक्षित डिजिटल फॉरेंसिक अधिकारी द्वारा ही क्लोनिंग एवं extraction करायें।
8. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस	स्मार्ट डिवाइस, IoT, GPS आदि	नेटवर्क डिस्कनेक्ट करें, बैटरी न निकालें, Faraday Bag का प्रयोग करें।
9. ज्वलनशील साक्ष्य	पेट्रोल, शराब, जली वस्तुएं आदि	ग्लास कंटेनर में रखें, *Fire Evidence Tag* लगायें।
10.मौखिक/सुनाई देने वाले साक्ष्य ऑडियो/ वीडियो रिकॉर्डिंग	कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्ड	आवाज़ की रिकॉर्डिंग बिना छेड़छाड़ के सुरक्षित रखें, *hash checksum* तैयार करें।

ऐसे साक्ष्य जो सामान्यतः छूट जाते हैं (Evidences that are usually left out)

साक्ष्य	उदाहरण	विशेष प्रक्रिया
सूक्ष्म साक्ष्य	फाइबर, मिट्टी, कांच आदि	Adhesive lifter या वैक्यूम ट्रैप
कीट विज्ञान साक्ष्य	कीड़े, लार्वा आदि	मृत्यु समय तय करने में सहायक
गनशॉट रेजिड्यू (GSR)	हथियार चलाने वाले हाथ से	3-4 घंटे के भीतर टेस्ट
गंध/वाष्प साक्ष्य	पेट्रोल की महक	वाष्प डिटेक्टर या विशेष कंटेनर
दबाव/घसीटने के निशान	कालीन, घास, मिट्टी आदि	साइड-लाइटिंग फोटोग्राफी

घटनास्थल पर प्राप्त साक्ष्यों की पैकेजिंग और लेबलिंग

साक्ष्य प्रकार	पैकेजिंग सामग्री	सावधानी
जैविक	पेपर बैग	सूखा होना चाहिए
डिजिटल	फैराडे बैग	रेडियो सिग्नल बंद हो
धारदार वस्तु	कार्डबोर्ड ट्यूब/बॉक्स	नुकीले सिरों को कवर करें
तरल पदार्थ	सीलबंद वायल	रिसाव न हो, लेबल लगायें

डिजिटल साक्ष्य के लिए विशेष दिशा-निर्देश
(Handling of Digital & Electronic Evidence)

a. मोबाइल फोन

- स्विच ऑन डिवाइस प्राप्त होने पर- स्क्रीन को उसी स्थिति में छोड़ें।
- स्विच ऑफ डिवाइस प्राप्त होने पर- ऑन न करें।
- Airplane mode न लगाएं- पैकिंग के लिए *Faraday bag* का प्रयोग करें।
- प्रयोगकर्ता से मोबाइल का लॉक अवश्य disable करायें।

b. लैपटॉप/कंप्यूटर

- स्क्रीन की स्थिति और खुले एप्लिकेशन की फोटो लें।
- किसी भी प्रोग्राम को बंद न करें।
- हार्ड डिस्क को सीधे न निकालें – *Digital Cloning Device* द्वारा इमेजिंग करायें।

c. CCTV / DVR सिस्टम

- समय व दिनांक रिकॉर्ड करें (वीडियो टाइमस्टैम्प का फोटो लें)।
- DVR के मॉनिटर की सजीव (Live) फोटोग्राफी, समय व दिनांक की सत्यता/मिलान हेतु मोबाइल क्लॉक या वाल क्लॉक साथ में रखकर फोटोग्राफी अवश्य की जाये।
- नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें, लेकिन पॉवर ऑफ न करें।
- DVR की क्लोनिंग विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिक विधि से करायें।
- केवल अधिकृत डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा संग्रह किया जाये।

d. USB / External HDD

- टैग करें, नंबर दें, और *write-blocker* के माध्यम से एनालिसिस करें।
- मोबाइल फोन को **स्विच ऑफ** करें; ऑन है तो **टच न करें।**
- लैपटॉप ऑन है तो **RAM कैप्चर** जरूरी हो सकता है, जिसे विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाये।
- किसी भी डिवाइस में **एयरप्लेन मोड, रीसेट, डिलीट** का प्रयास न करें
- CCTV/DVR को बंद न करें; **नेटवर्क से अलग करें**, trained expert से **live cloning** करायें।
- सभी डिजिटल डिवाइस को **Faraday Bag** में रखें तथा शॉक प्रूफ पैकिंग का प्रयोग किया जाये।

विशेष सलाह

- अपराध स्थल पर मौजूद सभी डिजिटल डिवाइस का IP/नेटवर्क लॉग निकालें।
- सभी साक्ष्य की preliminary inventory बना कर IO को सौंपें।
- डिजिटल डेटा का hash verification अनिवार्य करें (MD5/SHA1) I
- Digital forensic expert को DVR, PC, मोबाइल, router जैसी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से इमेज और क्लोन करने हेतु अनिवार्य रूप से तैनात किया जाये।
- जहां संभव हो, on-site forensic imaging unit का उपयोग करें।

(vi): <u>साक्ष्य संकलन और वीडियोग्राफ़ी</u>

- घटनास्थल पर प्राप्त होने वाले सभी साक्ष्यों की, स्केल रखकर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अवश्य की जाये।

(vii): <u>डिजिटल अपलोड</u>

- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सभी रिकॉर्ड (वीडियो, फॉर्म, दस्तावेज) को **24 घंटे के भीतर e-sakshya** या CCTNS पर अपलोड किये जायें।
- साक्ष्य के डिजिटल बैकअप तैयार किए जायें।

(5). चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody)

हर साक्ष्य के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

- साक्ष्य लेबल (Evidence Tag)– क्रमांक, FIR नंबर, संकलित करने वाले का नाम
- प्रत्येक साक्ष्य हेतु अलग-अलग सीलिंग पैकेट (पैकेट के ऊपर *साक्ष्य विवरण, FIR नंबर, पुलिस स्टेशन, दिनांक, समय, हस्ताक्षर* अनिवार्य है)
- साक्ष्य स्थानांतरण की सूची (कब, किसे सौंपा गया)

☞ साक्ष्यों की चेन ऑफ कस्टडी बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये एवं **संकलित साक्ष्यों को SHO द्वारा अन्वेषण अधिकारी के माध्यम से प्रयोगशाला में भेजे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।**

(6). <u>सामान्य निर्देश</u>-

A. निषेध और चेतावनियाँ (Don'ts)

- कोई भी साक्ष्य बिना दस्ताने के न छुयें।
- डिजिटल उपकरण को चालू/रीसेट/फॉर्मेट न करें।
- जैविक साक्ष्य को प्लास्टिक में न रखें।
- DVR / CCTV को ऑफ न करें।
- अपराध स्थल की शुचिता (sanctity) को प्रभावित न होने दें।

B. स्थल छोड़ने से पहले आवश्यक कार्य

- सभी साक्ष्यों की सूची और सील की समीक्षा करें।
- IO (Investigating Officer) को *on-site रिपोर्ट* सौंपें।
- प्रवेश-निकास रजिस्टर/log slip में प्रविष्टि बंद कर हस्ताक्षरित करें।

SHO और पर्यवेक्षण अधिकारियों की भूमिकाएँ

(फॉरेंसिक टीम के साथ अपराध स्थल पर और बाद की प्रक्रिया हेतु)

(1). थाना प्रभारी (SHO / Officer In-Charge of Police Station)

A. FIR दर्ज होने के बाद

1. प्राथमिकी का विश्लेषण कर फॉरेंसिक टीम को तुरंत सूचित करें

- BNSS धारा 176(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले अपराध में SOP के तहत फॉरेंसिक टीम अनिवार्य रूप से बुलाये जाने हेतु SSP/DCP/SP/ जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करें।
- संवेदनशील घटनास्थलों हेतु FSL टीम के लिए अनुरोध करें।
- एक समय में एक जनपद में एक से अधिक घटना घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष के अनुरोध पर SSP/DCP/SP/Nodal Officer घटना की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के आधार पर फोरेंसिक टीम को भेजना सुनिश्चित करें।

2. अपराध स्थल को संरक्षित करें

- स्थल की अस्थायी घेराबंदी (inner & outer cordoning) सुनिश्चित करें।
- मीडियाकर्मियों, स्थानीय लोगों, व अन्य अनधिकृत व्यक्तियों को स्थल से दूर रखें।

3. प्रवेश-निकास रजिस्टर/Log बनवाएं

- अपराध स्थल पर प्रवेश करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी का **नाम, पदनाम, समय** दर्ज करायें।

B. फॉरेंसिक कार्यवाही के दौरान

1. फॉरेंसिक टीम को सहयोग दें

- आवश्यक सामग्री, स्टाफ, सुरक्षा, बिजली/प्रकाश आदि की व्यवस्था SHO सुनिश्चित करें।

2. स्थानीय गवाहों/रिश्तेदारों को नियंत्रित करें

- जिससे वे साक्ष्य से छेड़छाड़ न करें या कार्य में बाधा न डालें।

3. वीडियोग्राफ़ी की निगरानी करें

- वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हो रही है या नहीं, इसे सुनिश्चित करें।

4. शुरुआती रिपोर्ट संकलन करें

- फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा संग्रहित साक्ष्यों की सूची तैयार कर **विवेचक** को सौंपें।

C. साक्ष्य का हस्तांतरण और डिजिटल रिकॉर्ड

1. **साक्ष्य को सुरक्षित रूप से सील करवाएं**

- प्रत्येक साक्ष्य पर सही लेबल, FIR नंबर, तारीख, हस्ताक्षर अनिवार्य हो।

2. **CCTNS/ e-Sakshya पर डाटा अपलोड**

- SHO को यह सुनिश्चित करना है कि **24 घंटे के भीतर** सभी डिजिटल साक्ष्य सम्बन्धित पोर्टल पर अपलोड हों।

3. **संकलित साक्ष्यों को प्रयोगशाला में भेजे जाने की व्यवस्था**

- Forensic evidence को **FSL/ CFSL** तक सुरक्षित रूप से भेजने की जिम्मेदारी SHO की है।

(2) **जनपद प्रभारी / नोडल अधिकारी(SSP/DCP/SP/ जनपदीय नोडल अधिकारी) -**

- सम्बन्धित थाना/ थाना प्रभारी/ नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर फील्ड यूनिट / फोरेन्सिक टीम को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के यथोचित निर्देश जारी करना।
- घटना की संवेदनशीलता के अनुरुप प्राथमिकताएं तय करना।
- संदेश प्रेषण हेतु त्वरित माध्यमों का प्रयोग कर विलम्ब को रोकना।

(3). पर्यवेक्षण अधिकारी (DySP/ACP/Add. SP/ADCP)

A. अपराध स्थल पर निगरानी भूमिका

1. फॉरेंसिक SOP के पालन की निगरानी करें

- सुनिश्चित करें कि अपराध स्थल की वीडियोग्राफी, दस्तावेजीकरण, और सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हो रही है।

2. साक्ष्य के प्रकार, मात्रा और गुणवत्ता की समीक्षा करें

- यह सुनिश्चित करें कि सभी **प्रासंगिक और सहायक साक्ष्य** संग्रहित किए गए हैं।

3. IO और SHO को निर्देश दें

- यह सुनिश्चित करें कि कोई फोरेंसिक साक्ष्य छोड़ा न जाये और सभी डिजिटल उपकरणों को विधिवत संरक्षित किया जाये।

B. रिपोर्ट और गुणवत्ता नियंत्रण

1. चेन ऑफ कस्टडी की समीक्षा

- प्रत्येक साक्ष्य के हस्तांतरण रजिस्टर और लेबल की जांच करें।

2. लैब रिपोर्ट और कोर्ट फाइलिंग की प्रगति देखें

- यह निगरानी करें कि लैब से रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो रही है और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

C. विशेष स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार

- यदि DVR/PC जैसे डिजिटल डिवाइस ऑन हों, तो **लाइव क्लोनिंग का आदेश** देना।
- यदि अपराध स्थल व्यापक है (जैसे रेल दुर्घटना, विस्फोट), तो **अतिरिक्त फॉरेंसिक यूनिट बुलाने का निर्णय।**
- **साक्ष्य की संवेदनशीलता के आधार पर-** विशेष सीलिंग, उच्चस्तरीय प्रयोगशाला भेजने या माननीय न्यायालय से अनुमति लेने की प्रक्रिया तय करना।

स्तर	प्रमुख उत्तरदायित्व
SHO/ थाना प्रभारी	अपराध स्थल सुरक्षित करना, फॉरेंसिक टीम बुलाना, प्रारंभिक रिपोर्ट संकलन, अपलोड और ट्रांसफर सुनिश्चित करना।
पर्यवेक्षण अधिकारी (DySP/ Addl.SP/ SP/ SSP एवं समकक्ष)	SOP का अनुपालन सुनिश्चित करना, साक्ष्य की गुणवत्ता पर निगरानी, विवेचक को मार्गदर्शन देना, अनुशासनिक नियंत्रण।

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास (Training & Capacity Building)

सभी विवेचकों एवं फॉरेंसिक कर्मियों को निम्न का व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है:

- क्राइम सीन मैनेजमेंट एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का प्रिजर्वेशन, लेबलिंग, फॉरवर्डिंग
- डिजिटल हैंडलिंग
- फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफ़ी तकनीक

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 176(3) में जनपद स्तर पर प्रभारी जनपद/ नोडल अधिकारी/ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी परीक्षण कराये जाने वाले केसेस की समीक्षा कर ऐसे प्रकरण जिनमें एफएसएल स्तर पर परीक्षण कराया जाना आवश्यक हो उन्ही केसेस को परीक्षण कराये जाने हेतु अग्रसारित किया जाए तथा उपरोक्त SOP में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें एवं निर्देशों का पालन न करने का कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

29/8

(राजीव कृष्णा)

1- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3- समस्त प्रभारी/ उप निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0।
4- समस्त फील्ड यूनिट प्रभारी, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, गृह उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन उ0प्र0।
3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उ0प्र0।
4- निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0, लखनऊ।